गुटनिरपेक्ष नीतिः

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व राजनीति का दो ध्रुवों में विभाजन हो चुका था। साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका द्वारा संसार के नवस्वतंत्र देशों को अपने–अपने गुटों में शामिल करने तथा इन देशों की शासन प्रणालियों को अपनी विचारधाराओं के अनुकूल ढालने के भरसक प्रयास किये जा रहे थे। ऐसे विश्व परिदृश्य में भारत ने विश्व राजनीति में अपनी पृथक पहचान एवं स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखने के उद्देश्य से गुटनिरपेक्षता नीति का अनुपालन किया। गुटनिरपेक्षता को अपनाये जाने के कारण निम्नलिखित प्रकार से हैं–

1. भारत किसी गुट में शामिल होकर विश्व में अनावश्यक तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने का इच्छुक नहीं था।
2. भारत किसी भी गुट के विचारधारायी प्रभाव से ग्रस्त होना नहीं चाहता था। किसी भी गुट में शामिल होने पर भारत की शासनप्रणाली एवं नीतियों पर उस गुट विशेष के नेतृत्व का दृष्टिकोण हावी हो जाता।
3. भारत की भौगोलिक सीमाएं साम्यवादी देशों से जुड़ीं थीं, अतः पश्चिमी देशों के गुट में शामिल होना अदूरदर्शी कदम होता। दूसरी ओर साम्यवादी गुट में शामिल होने पर भारत को विशाल पश्चिमी आर्थिक व तकनीकी सहायता से वंचित होना पड़ता।
4. नवस्वतंत्र भारत को आर्थिक विकास हेतु दोनों गुटों से समग्र तकनीकी एवं आर्थिक सहायता की जरूरत थी, जिसे गुटनिरपेक्ष रहकर ही प्राप्त किया जा सकता था।
5. गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत भारत की मिश्रित एवं सर्वमान्य संस्कृति के अनुरूप था।
6. भारत के दक्षिणपंथी तथा वामपंथी दलों के विदेश–नीति से जुड़े आपसी मतभेदों को समाप्त करने का सर्वमान्य सूत्र, गुटनिरपेक्षता सिद्धांत को ही स्वीकार किया गय।
7. गुटनिरपेक्षता स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान घोषित आदशों एवं मान्यताओं का पोषण करती थी। यह गांधीवादी विचारधारा के सर्वाधिक निकट थी।

इस प्रकार उपर्युक्त कारणों से भारत ने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपने विश्व राजनीतिक व्यवहार का प्रमुख मापदंड बनाया।

भारत की गुटनिरपेक्षता के प्रमुख लक्ष्य

स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही भारतीय नेताओं पर कुछ मान्यताओं का स्पष्ट प्रभाव पड़ चुका था। ये मान्यताएं थीं– राजनीति एवं सत्ता का आदर्शवादी दृष्टिकोण, एशियावाद, पश्चिमी लोकतांत्रिक प्रणाली तथा साम्यवाद का सैद्धांतिक रूप से खंडन और अंतरराष्ट्रीय सम्बंधों के आदर्शवादी दृष्टिकोण को मान्यता।

इन मान्यताओं के प्रत्यक्ष प्रभाव के आलोक में ही भारत की गुटनिरपेक्षता नीति के लक्ष्य निर्धारित किये गये। ये लक्ष्य इस प्रकार थे–

1. अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को कायम रखना और उसका संवर्धन करना।
2. उपनिवेशों के लोगों के आत्मनिर्णय अधिकार को बढ़ावा देना।
3. समानता पर आधारित विश्व समुदाय की स्थापना तथा रंगभेद का विरोध।
4. आणविक निरस्त्रीकरण तथा नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना।
5. अफ्रीका और एशिया के देशों का समर्थन।
6. अंतरराष्ट्रीय विवादों तथा संघर्षों के शांतिपूर्ण निपटारे का समर्थन।
7. संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत ही उपर्युक्त लक्ष्यों की सिद्धि करना।

गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व के नवस्वतंत्र देशों द्वारा अपनायी गयी गुटों से अलग रहने की नीति को 1940 व 50 के दशकों में विद्वानों द्वारा कई नाम दिये गये, जैसे– अप्रतिबद्धता, अहस्तक्षेप, तटस्थता, तटस्थतावाद, सकारात्मक तटस्थता, स्वतंत्र एवं सक्रीयनीति, शांतिपूर्ण सक्रीय सह–अस्तित्व इत्यादि।

जवाहरलाल नेहरू द्वारा मई 1950 में ही इस नीति को व्यक्त करने के लिए 'गुटनिरपेक्षता' शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद इस नाम का प्रयोग भारत एवं विदेश में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन (बेलग्रेड, 1 सितंबर 1961) में भी इन देशों की नीति को 'गुटनिरपेक्षता' शब्द द्वारा व्यक्त नहीं किया गया। वास्तव में 'गुटनिरपेक्षता' शब्द किसी बौद्धिक या शैक्षिक सिद्धांत पर कार्य है। गुटनिरपेक्षता की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं–

1. 'फोंटाना डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न थॉट' के अनुसार "शीतयुद्ध की स्थिति में दो परस्पर विरोधी मुख्य शक्तिसमूहों में से किसी का भी पक्ष लेने से इनकार करना। तटस्थता की अपेक्षा गुटनिरपेक्षता कम अलगाववादी थी और ये द्विध्रुवीयता को खुले सैनिक संघर्ष में बदलने से रोकने हेतु किये जाने वाले सामूहिक हस्तक्षेप की धारणा से जुड़ी हुई थी।"
2. जवाहरलाल नेहरू के अनुसार "गुटनिरपेक्षता का अर्थ है, सैनिक गुटों से अपने आपको अलग रखने का किसी देश द्वारा प्रयत्न करना। इसका अर्थ है– जहां तक हो सके, तथ्यों को सैन्य दृष्टि से न देखना। हालांकि कभी–कभी ऐसा करना पड़ता है परन्तु हमारा दृष्टिकोण स्वतंत्र होना चाहिए और वह अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बंधों की स्थापना में सहायक होना चाहिए।"
3. ए.अप्पादोराई ने गुटनिरपेक्षता की सबसे उपयुक्त परिभाषा दी हे, उनके अनुसार "गुटनिरपेक्षता का अर्थ है– शांति कायम रखनाय शांतिपूर्ण तरीकों जैसे वार्ता, जांच, मध्यस्थता, समझौता एवं न्यायनिर्णय की दिशा में प्रयत्न', किसी भी पक्ष की आक्रमणकारी के रूप में भर्त्सना करने में तब तक संकोच करना, जब तक तथ्यों की अंतरराष्ट्रीय जांच द्वारा आक्रमण निर्विवाद रूप से सिद्ध न हो जायेय दोनों पक्षों की सदाशयता पर तब तक विश्वास रखना जब तक इसके विपरीत कोई बात सिद्ध न हो जाये तथा वार्ता की संभावना की पूरी खोज करना एवं कम से कम युद्ध को स्थान विशेष तक सीमित रखना– यही भारत का दृष्टिकोण है।"

गुटनिरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं हैं–

1. शीतयुद्ध का विरोध
2. सैन्य एवं सुरक्षा गठबंधनों का विरोध
3. शक्ति राजनीति से निर्लिप्तता
4. स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन
5. शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा अहस्तक्षेप
6. अलगाववाद की बजाय क्रियाशीलता की नीति
7. कूटनीतिक साधन या वैधानिक स्थिति नहीं
8. गुटनिरपेक्ष देशों की गुटबंदी नहीं
9. विकास के लिए आपसी सहयोग की नीति
10. नवउपनिवेशवाद का विरोध।

जवाहरलाल नेहरू काल में गुटनिपेक्षता की नीति, 1947-64

प्रारंभिक वर्षों (1947–50) में भारत की गुटनिरपेक्षता नीति अस्पष्ट रही। इस समय में भारत का झुकाव पश्चिमी गुट की तरफ था। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का प्रभाव, ब्रिटिश बाजार की अर्थव्यवस्था को कायम रखने का निर्णय, देश की सेनाओं पर ब्रिटिश निरीक्षण तथा तकनीकी एवं आर्थिक सहायता की जरूरतों इत्यादि ने भारत की पश्चिमी देशों पर निर्भरता को बढ़ा दिया था। इसी निर्भरता के कारण भारत ने पश्चिमी जर्मनी को अपनी मान्यता प्रदान की लेकिन पूर्वी जर्मनी को नहीं। कोरिया युद्ध (1952–53) में भी भारत ने पश्चिमी देशों का समर्थन करते हुए उत्तर कोरिया को आक्रामक घोषित कर दिया।

1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण काफी उदार हो गया था जिसके फलस्वरूप भारत की सोवियत संघ से निकटता में वृद्धि होने लगी। 1954 की पाकिस्तान–अमरीका संधि के अनुसार अमरीका द्वारा पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार उपलब्ध कराने तथा गोआ के प्रश्न पर पुर्तगाल का समर्थन करने के कारण

भारत और अमरीका के सम्बंधों में कटुता पैदा में समर्थन किया जाने लगा था। भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस की सद्भावना यात्रा भी की। रूस से व्यापार एवं आर्थिक सम्बंधों में वृद्धि होने लगी। रूस ने भारत के भिलाई इस्पात कारखाने हेतु आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की। 1956 में स्वेज नहर मामले में भारत ने रूस का समर्थन करते हुए फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण करने की निंदा की। 1955 में हंगरी के मामले में भी भारत ने रूस का समर्थन किया। 1957 के बाद आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा की कमी तथा खाद्यान्न के अभाव जैसे मुद्दों ने भारत के दृष्टिकोण को पुनः पश्चिमी देशों की तरफ झुका दिया। नेहरू द्वारा अमेरिका की सद्भावना यात्रा की गयी तथा भारत ने पश्चिमी साम्राज्यवाद विरोध के अपने स्वर को धीमा कर लिया।

1962 में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण कर दिया गया जिससे भारतीय गुटनिरपेक्षता नीति को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। युद्ध में भारत को दोनों गुटों की सहायता प्राप्त हुई। वर्ष 1963 में भारत और अमरीका के मध्य अणुऊर्जा के असैनिक उपयोग के सम्बंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नवंबर 1964 में मझगांव बंदरगाह के पुनर्निर्माण तथा लिएंडर वाढ के युद्धपोतों के निर्माण के विषय में भारत और ब्रिटेन के मध्य एक सुरक्षा संधि सम्पन्न की गई। जून 1964 में भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने अमरीका की यात्रा की तथा दोनों देशों के मध्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीनी आक्रामक गतिविधियों के निरोधक उपायों पर चर्चा की गई। मास्को के साथ बातचीत में भी भारत ने क्षेत्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इसके अतिरिक्त संपूर्ण नेहरू युग में निरस्त्रीकरण के प्रश्न, फारमूसा जलडमरूमध्य का संघर्ष (1955), हिंद–चीन से संबंधित जेनेवा सम्मेलन (1954), बांडुग सम्मेलन (1955) तथा बेलग्रेड सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई गयी। अणुपरीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न 1959 में भारत द्वारा सामान्य सभा की विषय सूची में रखा गया। अपनी नीतियों और प्रयासों के फलस्वरूप भारत को एशिया एवं अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों को महाशक्तियों की शक्ति राजनीति से अलग रखने में

पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। वर्ष 1950 में नेहरू द्वारा दावा किया गया कि "दिल्ली पिछले वर्षों में विश्व मैत्री और शांति का केंद्र बन गया है।"

मूल्यांकन

भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति पूर्णतः नेहरू के दृष्टिकोण और अंतःप्रज्ञा पर आधारित थी। इसी कारण गुटनिरपेक्षता को सुसंगत एवं बोधगम्य नीति का रूप देने में कठिनाई पैदा हुई। नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता को विदेशनीति का साधन तथा लक्ष्य—दोनों, एक साथ मान लेना एक गंभीर भूल थी। गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति की आधारशिला है तथा उसका किसी भी परिस्थिति में परित्याग नहीं किया जा सकता, यह मान लेना आत्मघाती था। परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गुटनिरपेक्षता के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाया जाना अधिक युक्तिसंगत साबित हो सकता था। इसी प्रकार गुटनिरपेक्षता की नैतिकता से सम्बद्ध मानना असंगत था।

वास्तव में गुटनिरपेक्षता सिद्धांत नैतिक दृष्टि से निष्क्रिय था। आवश्यकता पड़ने पर उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता था और राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए उसका परित्याग भी किया जा सकता था। चीनी आक्रमण से पहले भारत द्वारा विदेशी सहायता अस्वीकार करने तथा बाद में उसे स्वीकार करने पर, भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत पर सदैव अटल रहने की घोषणा का उपहास हुआ।

नेहरू द्वारा विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे पर जोर देना तथा आणविक शस्त्रो के निर्माण व परीक्षण की सदा के लिए निंदा करना भी दुर्भाग्यपूर्ण था। 1962 के भारत—चीन युद्ध में पराजित होने के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति की कड़ी आलोचना की गई। आलोचकों का मानना था कि गुटनिरपेक्षता की नीति के तहत राष्ट्रीय हितों की घोर अपेक्षा की गयी तथा देश की प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक तैयारियों के महत्व को नजरंदाज किया गया। भारत यदि पश्चिमी गुट में शामिल होता तो चीन भारत पर आक्रमण करने का साहस भी नहीं जुटा सकता था। भारत—चीन युद्ध के समय उन एशियाई—अफ्रीकी देशों द्वारा भी भारत

की सहायता नहीं की गई, जिनके हितों की सुरक्षा के लिए भारत गुटनिरपेक्षता सिद्धांत के माध्यम से निरंतर प्रयत्नशील रहा था।

पश्चिमी देशों से सहायता स्वीकार करना भी भारत की निर्गुट नीति का उल्लंघन माना गया और इसे 'पथ विचलन' या "भारत की सैद्धांतिक नारेबाजी का खोखलापन की संज्ञा दी गयी। इस प्रकार भारत की गुटनिरपेक्षता ने भारत के शत्रुओं और मित्रों–दोनों को ही भ्रमित किया। यह भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में भी असफल सिद्ध हुई।

इन सब आलोचनाओं के बावजूद नेहरू काल में गुटनिरपेक्षता के सार व लक्ष्यों को सुरक्षित रखने में काफी सीमा तक सफलता प्राप्त हुई। गुटनिरपेक्ष नीति के अनुपालन द्वारा ही भारत को तृतीय विश्व के नेतृत्वकर्ता का प्रभावपूर्ण दर्जा हासिल हुआ जो आर्थिक एवं सैन्य रूप से कमजोर एक नवस्वतंत्र देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी। निरस्त्रीकरण, गठबंधनहीनता, विकासशील देशों की आर्थिक जरूरतों को स्वीकार करने वाली विश्व प्रणाली की स्थापना तथा इन देशों में पूंजी तथा तकनीकी निवेश के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को व्यापक रूप में स्वीकार किया गया। 1955 में 'मेनचेस्टर गार्जियन' ने भी लिखा था कि "जब तटस्थ भाव से समय का इतिहास लिखा जायेगा, तब कदाचित यह देखकर आश्चर्य होगा कि अंतिम विनाश, जिसका सभी को भय है, के निवारण में भारत ने अक्सर कितनी उपयोगी भूमिका निभाई है।"

भारत–चीन युद्ध में विदेशी सहायता के औचित्य को सिद्ध करते हुए नेहरू ने कहा था कि "चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने जो भी शस्त्रास्त्र सहायता ली है, उसके साथ किसी प्रकार की शर्त नहीं जुड़ी है और बिना शर्त सहायता लेना गुटनिरपेक्षता नीति से अलग हटना नहीं कहा जा सकता।"

भारत की गुटनिरपेक्षता नीति के प्रति प्रतिबद्धता के कारण ही उसे भारत–चीन युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की सहायता प्राप्त हो सकी। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता

का परित्याग कर अमरीकी गुट में शामिल हो जाने पर भारत–चीन सीमा संघर्ष भी शीत युद्ध का एक अंग बन जाता। इसीलिए नेहरू ने स्पष्ट किया था कि भारत अपनी राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए विदेशी मदद लेने के बावजूद गुटनिरपेक्षता की नीति का त्याग नहीं करेगा। भारत ने चीन के साथ उन विषयों पर सहानुभूति दर्शायी जिनका सम्बंध सीमा विवादों से नहीं था।

भारत की इस नीति की कोलम्बो सम्मेलन के देशों तथा अमरीका व अन्य देशों द्वारा भी सराहना की गई। भारत में वामपंथियों तथा स्वतंत्र पार्टी दोनों ने भारत की चीन सम्बन्धी नीति का विरोध किया, जो गुटनिरपेक्षता नीति की सफलता का द्योतक था। इस प्रकार नेहरू युग में भारत की गुटनिरपेक्षता नीति सफलता एवं असफलता के विभिन्न चरणों से होकर गुजरी।

गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन

गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सबसे पहले 1955 में बांडुंग (इंडोनेशिया) में सम्पन्न 29 अफ्रीकी–एशियाई देशों के सम्मेलन में स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया गया। इस सम्मेलन में भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गामेल अब्दुल नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो द्वारा उपनिवेशवाद की समाप्ति हेतु गुटनिरपेक्ष देशों के संयुक्त प्रयासों की जरूरत पर बल दिया गया। जून 1961 में 21 देशों का तैयारी सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमें प्रथम सम्मेलन की अस्थायी विषय–सूची तथा सदस्यता आमंत्रण से जुड़े कुछ मानदंड तय किये गये। सितंबर 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन का आयोजन बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) में किया गया।

इस सम्मेलन में 25 अफ्रीकी–एशियाई देशों तथा एक यूरोपीय देश ने भी भाग लिया। तीन लैटिन अमरीका के देशों ने पर्यवेक्षकों के रूप में भागीदारी की। इस सम्मेलन में एक 27 सूत्रीय घोषणापत्र को स्वीकार किया गया। सम्मेलन में विश्व के सभी भागों में हर प्रकार की उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी, नवउपनिवेशवादी तथा नस्लवादी प्रवृत्तियों की

बड़ी निंदा की गई। इसमें अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, ट्यूनीशिया आदि देशों में चल रहे स्वतंत्रता संघर्षों का पुरजोर समर्थन किया गया। सम्मेलन में विकासशील देशों के व्यापार विकास हेतु उचित दशाओं की जरूरत पर बल दिया गया। सम्मेलन द्वारा संपूर्ण निरस्त्रीकरण की अपील भी जारी की गयी। निष्कर्ष रूप में गुटनिरपेक्ष देशों ने सभी अल्पविकसित एवं विकासशील देशों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का आह्वान किया। इस प्रकार प्रथम सम्मेलन के घोषणा पत्र ने नवस्वतंत्र राष्ट्रों के मध्य गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को व्यापक लोकप्रिय बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप दूसरे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन (1964, काहिरा) में सदस्यों की संख्या बढ़कर 47 (11 पर्यवेक्षकों के अलावा) हो गयी।